## न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश (समक्षः—डी०सी० थपलियाल)

<u>प्र0क0 397 / 2011 अ0फौ0</u> संस्थिति दिनांक 31.10.2011

- 1. केशवसिंह पुत्र बारेलाल I
- 2. बंटीसिंह पुत्र राजबहादुरसिंह सिकरवार।
- 3. शत्रुघनसिंह उर्फ सत्यमान पुत्र जण्डेलसिंह। समस्त निवासी मालनपुर परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.।

.....अपीलार्थीगण / आरोपीगण

## बनाम

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी मालनपुर जिला भिण्ड म०प्र०। .....प्रत्यर्थी

अपीलार्थीगण द्वारा श्री एस.एस.तोमर अधिवक्ता प्रत्यर्थी राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर ए०पी०पी०

/ / नि र्ण य / / (आज दिनांक 14—05—2015 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थीगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 दं.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है जिसमें कि अपीलार्थीगण ने न्यायिक दंण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी श्री मनीष शर्मा के द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 554/2000 ई.फौ. आरक्षी केन्द्र मालनपुर वि० केशवसिंह आदि में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 30.09.2011 से व्यथित होकर पेश किया है, जिसमें अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण/आरोपीगण को धारा 384 भाठदंठसंठ के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराते हुए प्रत्येक को एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/— रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने एवं अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में प्रत्येक को दो माह का कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया है।

02. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 21.03.2000 को दिन के दो बजे फरियादी अतुल अग्रवाल अपनी मारूती कार कमांक एम.पी. 07—ई—3637 से ग्वालियर से मालनपुर गोंदरेज फैक्ट्री आ रहा था तब रास्ते में 15—20 लडकों ने उसे रोक कर थप्पड व लात घूसों से मारपीट करते हुए चंदा निकालों की बात कहने लगे। उसी समय एक लउके ने उदयवीर और अतुल का मुंह दवाकर बोला कि गांडी बढाई तो जान से खत्म कर देगें और शेष आरोपीगण का नाम लेकर कहा कि दूसरी गांडी से भी लेना है। तब अतुल ने सौ रूपए चंदा के लिए डर के मारे दे दिए। आरोपीगण ने पत्थरों से गांडी को तोड दिया। उसके बाद अतुल अग्रवाल ने थाना मालनपुर में आकर घटना की रिपोर्ट लिखाई जिस पर से अप0क्0 28/2000 धारा 384, 341, 506बी, 147, 148 भाठदंठिव० का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए और नुकसानी पंचनामा बनाया गया एवं आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी / आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 384, 341, 506 भाग—2, 147, 148 भा0दं0वि0 के संबंध में अपराध की विशिष्टियाँ तैयार कर उसे पढकर सुनाई समझाई गई आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य उपरांत अभियुक्त परीक्षण कर एवं अंतिम तर्क सुने जाकर दिनांक 30.09.2011 को प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कि आरोपीगण को कंडिका 01 में दर्शाए गए दण्डादेश के अनुसार दंण्डित किया गया ।

05. अपीलार्थी के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान के प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के संबंध में तथा प्रतिपरीक्षण में आए हुए तथ्यों पर सूक्ष्मतः परीक्षण किए बिना प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया गया है। साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाष एवं बिसंगतियाँ आई है और फरियादी के द्वारा आरोपीगण के नाम नहीं बताया जा सका है और आरोपीगण के द्वारा फरियादी से चंदा की मांग की और किसने चंदा लिया एवं किस आरोपी के द्वारा उसे कहां चोट पहुँचाई गई इस तथ्य को भी फरियादी के द्वारा स्पष्ट नहीं बताया जा सका है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध व दण्डादेश को अपास्त करते हुए आरोपीगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है।

06. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्ध दण्डादेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें हस्तक्षेप करने अथवा फेरबदल करने का कोई आधार न होना बताते हुए अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि—

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का दोषसिद्ध आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 30.09.2011 स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किए जाने योग्य है?

## ::- निष्कर्ष के आधार-::

- 08. घटना के फरियादी / रिपोर्टकर्ता अतुल अग्रवाल अ०सा० 3 ने अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 21.03.2000 को वह अपने मित्र उदयवीर के साथ मालनपुर बस स्टेण्ड के आगे पहुँचा तभी आरोपीगण आए और उसे लात घूसों से मारपीट करने लगे। आरोपीगण उससे होली के संबंध में चंदा मांग रहे थे, उन्होंने उसकी गाड़ी के आगे का कॉच व साइड का ग्लास तोड़ दिया था। उसने चंदे के सौ रूपए उन्हें दिए थे। उसने घटना की रिपोर्ट की थी जो रिपोर्ट प्र.पी. 8 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जिस पर बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 09. इसी प्रकार साक्षी उदयवीर अ0सा0 4 के द्वारा भी कथन करते हुए बताया गया है कि आरोपीगण ने चंदा मांगने के लिए उनसे गाली गलोज किया और हाथापाई की तथा गाडी का साइड ग्लास और ब्रेक लाइट तोड दी थी। आरोपीगण सौ रूपए चंदे के रूप में मांग रहे थे जो कि आरोपीगण को उनके द्वारा चंदा दे दिया था।
- 10. साक्षी सुरेन्द्रसिंह कुशवाह अ०सा० 1 जिन्होंने कि प्रकरण की विवेचना के दौरान दिनांक 01.04.2000 को फरियादी अतुल अग्रवाल की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 1 बनाया तथा साक्षी अतुल अग्रवाल और उदयवीर के कथन लेखबद्ध करना तथा नुकसानी पंचनामा मारूती कार के संबंध में प्र.पी. 6 का बनाना और आरोपीगण को गिरफ्तार करना बताया है तथा साक्षी कैलाशनारायण अ०सा० 2 के द्वारा आरोपी केशव गूजर और बंटीसिंह सिकरवार को थाने पर आकर उन्हें गिरफ्तार करना बताया है।
- 11. प्रकरण में मुख्य रूप से घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद बताए गए व्यक्तियों की पिहचान का प्रश्न है निहित है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 8 में 15—20 लडकों के द्वारा फिरयादी को रोक लिया जाना और सभी के द्वारा फिरयादी को पकड कर मारपीट करना तथा उसके साथी उदयवीर की भी मारपीट करना तथा चंदा मांगने का उल्लेख आया है तथा भीड वाले कह रहे थे कि बंटी, शत्रुघन, कुशव गूजर जल्दी चंदा लो। इस आधार पर बंटी हिरजन, शत्रुघन व कुशव गूजर व 10—15 अन्य लोगों

के द्वारा घटना कारित किया जाने का उल्लेख आया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक का कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराया गया है जो कि इस संबंध में वस्तुस्थिति को अधिक स्पष्ट कर सकता था। यह उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में बंटी हरिजन उल्लेख किया गया है, जबिक जबिक बंटी उर्फ जगदीश जाटव प्रकरण में फरार होना बताया जा रहा है। बंटी उर्फ जगदीश जाटव अलग व्यक्ति है एवं वर्तमान अपीलार्थी बंटीसिंह पुत्र राजबहादुरसिंह सिकरवार अलग व्यक्ति है। ऐसी दशा में वर्तमान बंटीसिंह पुत्र राजबहादुरसिंह सिकरवार का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज होना भी नहीं कहा जा सकता।

- 12. फरियादी अतुल अग्रवाल अ0सा0 3 के द्वारा न्यायालय के समक्ष आरोपी कमलिकशोर, रामौतार व शत्रुघन की पिहचान की है, शेष आरोपीगण की कोई पिहचान उसके द्वारा नहीं की गई है। यह उल्लेखनीय है कि किसी भी आरोपी को फिरयादी घटना के पूर्व से जानता पिहचानता नहीं है जैसा कि प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है और यह बताया है कि घटना घटित करते समय एक दूसरे का नाम ले रहे थे तब उनके नाम याद हुए थे। किन्तु इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय हे कि आरोपी रामौतार एवं कमलिकशोर जिन्हें कि फिरयादी न्यायालय में प्रथम बार पिहचानना बता रहा है उनके नाम का कहीं भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त मात्र इस आधार पर कि घटना के समय एक दूसरे का नाम ले रहे थे उनकी पिहचान स्थापित करने का कोई युक्तियुक्त आधार भी नहीं हो सकता। ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि साक्षी के कथन की सम्पुष्टि किसी अन्य साक्ष्य के आधार पर हो।
- 13. उपरोक्त बिन्दु पर साक्षी उदयवीर सिंह अ०सा० 4 के द्वारा यह बताया गया है कि आरोपीगण आपस में नाम ले रहे थे उस समय याद आ गया था। किन्तु न्यायालय में कथन करते समय उसके द्वारा किसी भी आरोपी की कोई पहिचान नहीं की गई है। नाम के बिन्दु पर पक्षद्रोही घोषित करने पर पुलिस के कथन में बंटी, शत्रुघन व केशव आपस में नाम ले रहे थे, इस आधार पर बताना अभिकथित किया है, किन्तु मात्र यदि मौके पर कोई नाम लिए जा रहे हो तो उस नाम लिए जाने के आधार पर वर्तमान अपीलार्थी / आरोपीगण को धाटनास्थल पर मौजूदगी का तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता। प्रतिपरीक्षण में भी उसके द्वारा यह बताया गया है कि वह केवल एक आदमी को पहिचानता है और बांकी किसी आदमी को नहीं पहिचानता। वह एक आदमी कौन है ऐसा कहीं भी साक्षी के साक्ष्य कथन में नहीं आया है। ऐसी दशा में साक्षी उदयवीर के कथन से भी किसी आरोपी की पहिचान स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हो सकी है।
- 14. यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन के द्वारा आरोपीगण की कोई भी शिनाख्ती की कार्यवाही नहीं कराई गई है। निश्चित तौर से जबकि साक्षी आरोपीगण को पहले से नहीं

जानते थे तो उनकी पहिचान के संबंध में उनकी शिनाख्ती परेड एक महत्वपूर्ण सम्पुष्टि कारक साक्ष्य हो सकता था, किन्तु किसी प्रकार की कोई भी शिनाख्ती की कार्यवाही इस संबंध में कराई जानी दर्शित नहीं होती है। इस प्रकार वर्तमान आरोपीगण/अपीलार्थीगण की धाटनास्थल पर मौजूदगी अथवा उनके द्वारा ही घटना कारित किए जाने का तथ्य किसी भी प्रकार संदेह से परे सिद्ध होना नहीं पाया जाता है।

15. दांडिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना प्रकरण अपनी साक्ष्य के आधार पर संदेह से परे प्रमाणित करना होगा। निश्चित तौर से वर्तमान प्रकरण में आरोपीगण की पिहचान ही युक्तियुक्त रूप से स्थापित नहीं हो पाई है। घटना के समय घटनास्थल पर कई लोगों की मौजूदगी होनी बताई जा रही है। इस पिरप्रेक्ष्य में आरोपी/अपीलार्थी केशव, शत्रुघन एवं बंटी के द्वारा ही घटना कारित की गई यह तथ्य संदेह से परे स्थापित नहीं होता है। इस संबंध में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा उक्त अपीलार्थी/आरोपीगण को धारा 384 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराए जाने में तथ्यात्मक एवं गंभीर भूल की जानी पाई जाती है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा उसके समक्ष आई हुई साक्ष्य उचित रूप से विचार किए बिना और साक्ष्य का उचित रूप से विवेचना एवं विश्लेषण किए बिना आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराया जाकर दंडित किया गया है।

16. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्ध एवं दंडादेश दिनांक 30. 09.2011 स्थिर रखे जाने योग्य न होने से अपास्त किया जाता है। अपीलार्थीगण/आरोपीगण की अपील को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी केशवसिंह, शत्रुघन उर्फ सत्यभान एवं बंटीसिंह पुत्र राजबहादुर सिंह सिकरवार को धारा 384 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17. आरोपीगण के जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते है। अपीलार्थीगण / आरोपीगण के द्वारा जमा कराई गई अर्थदण्ड की राशि अपील अवधि पश्चात् वापस दिलाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड